कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर

ईमेल - cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं०-05943—240071

पत्रांक नं-3 / एफ० एस० / ऑनलाइन / 2024 दिनांक—अगस्त 26, 2024

स्वामी/ प्रबंधक
मै० शिवालिक अकादमी
ग्राम—दमगरा पोस्ट—खटीमा, खटीमा
विषय :- **अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में**

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं—96105069 दिनांक 12-08-2024 के अनुसार मै० शिवालिक अकादमी ग्राम—दमगरा पोस्ट—खटीमा, खटीमा की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र खटीमा द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र खटीमा की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। **संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नए सिरे से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्था को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वप्रमाण पत्र / Self Audit Report इस कार्यालय में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।**

अतः मै० शिवालिक अकादमी ग्राम—दमगरा पोस्ट—खटीमा, खटीमा को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सेवेक तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों तथा सुरक्षित निकास प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकांड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबंधन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, सेट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का संस्थान संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबंधन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
7. संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने की स्थिति में कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर तथा अन्य लैब में 01 अदद डीसीपी फायर एक्सटिंग्यूशर तथा 04 अदद सैंड बकेट का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधम सिंह नगर